कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, जल निगम निर्माण खण्ड-सीतापुर

उत्तर प्रदेश जल निगम

डा० बी०डी० कपूर मार्ग, विजय लक्ष्मी नगर – सीतापुर – २६१००१

पत्रांक 81 / एम-9 / 02 दिनांक 18-1-2012

//पंजीकरण सूचना//

प्रधान कार्यालय, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा इच्छुक लोगों से निम्नलिखित श्रेणी में पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

अ– श्रेणी 'सी'

ब– श्रेणी 'डी'

स– श्रेणी 'ई'

1– पंजीकरण दिनांक 01.02.2012 से दिनांक 31.01.2013 तक खुला रहेगा।

2– पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र एवं रेगुलेशन की एक प्रति कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में रू0 250.00 नगद भुगतान धनादेश एवं ड्राफ्ट के द्वारा प्राप्त किये जा सकते है, पंजीकरण प्रार्थना पत्र एवं रेगुलेशन की प्रति डाक द्वारा मंगाने हेतु रू0 30.00 डाक व्यय के रूप में अलग से देय होगा।

3– दिनांक 31.03.2012 के पश्चात पंजीकरण हेतु दिनांक 01.04.2012 दिनांक 31.08.2012 तक विलम्ब शुल्क रू0 500.00 प्रतिमाह की दर से धनराशि जमा करनी होगी।

4– दिनांक 01.09.2012 से दिनांक 31.01.2013 तक पंजीकरण हेतु विलम्ब शुल्क रू0 1000.00 प्रतिमाह की दर से जमा होगी।

5– श्रेणी 'सी' के पंजीकरण कराने के इच्छुक ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु फार्म एवं रेगुलेशन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से निर्गत किया जायेगा, परन्तु पंजीकरण से सम्बन्धित प्रार्थना–पत्र एवं फार्म अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ के कार्यालय में प्रेषित करना होगा। पंजीकरण में सम्बन्धित समस्त प्रपत्र एवं अभिलेख मण्डल कार्यालय में जमा करना होगा, तभी पंजीकरण प्रमाण पत्र अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निर्गत किया जायेगा।

6– श्रेणी 'डी' के पंजीकरण के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही अधोहस्ताक्षरी के द्वारा किये जाने के उपरान्त प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

7– श्रेणी 'ई' के पंजीकरण के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही अधोहस्ताक्षरी के द्वारा किये जाने के उपरान्त प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

8– श्रेणी 'सी' में पंजीकरण कराने हेतु इच्छुक ठेकेदारों द्वारा प्रधान कार्यालय के निर्देशानुसार सामान्य प्रतिभूति की धनराशि रू0 15000.00 एन0एस0सी0 पोस्ट आफिस टी0डी0आर0 पास बुक एवं राष्ट्रीय कृत बैंक की एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 के रूप में जो अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ के पद नाम बन्धक हो, मण्डल कार्यालय में जमा करनी होगी।

9– श्रेणी 'डी' में पंजीकरण कराने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को प्रधान कार्यालय के निर्देशानुसार सामान्य प्रतिभूति

क्रमशः...2

की धनराशि रू0 10000.00 एन0एस0सी0 के रूप में पोस्ट आफिस की टी0डी0आर0 पास बुक एवं राष्ट्रीय कृत बैंक की एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 के रूप में जो अधिशासी अभियन्ता, उ0 प्र0 जल निगम, निर्माण खण्ड, सीतापुर के पद नाम बन्धक हो जमा करनी होगी। गैर राष्ट्रीय कृत बैंक की एफ0डी0आर0 एवं सी0डी0आर0 मान्य नहीं होगा।

10– श्रेणी 'ई' के पंजीकरण हेतु सामान्य प्रतिभूति की धनराशि शासनादेश/मुख्यालय के निर्देश के अनुपालन में निशुल्क है।

(डा0 एस0 आर0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक यथोपरि–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सामग्री प्रबन्धक, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ।
2– मुख्य अभियन्ता(ल0क्षे0), उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ।
3– अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4– जनसम्पर्क अधिकारी, उ0 प्र0 जल निगम, 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को छः प्रतियों में इस आशय से प्रेषित कि इनका प्रकाशन समाचार पत्रों में कराने की कृपा करें।
5– मण्डलान्तर्गत समस्त खण्ड (लखीमपुर, हरदोई, रायबरेली एवं लखनऊ)।
6– समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, सीतापुर।
7– समस्त सहायक अभियन्ता।
8– खण्डीय लेखाकार/संगणक/कैशियर।
9– मुख्य लिपिक।
10– सूचना पट हेतु।

अधिशासी अभियन्ता